

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक-16.11.2018 को 11:00 बजे पूर्वाहन में 4 देशरत्न मार्ग, पट्टना स्थित 'संवाद' में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पंचम बैठक (प्रथम चरण) के क्रम में (द्वितीय चरण) दिनांक-04.12.2018 एवं (तीसरी चरण) दिनांक-13.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक-16.11.2018 को बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पंचम बैठक (प्रथम चरण) के क्रम में दिए गए निदेश के अनुपालन एवं कार्यावली संख्या-18 अंतर्गत शेष उप-मिशनों की समीक्षा हेतु दिनांक-04.12.2018 को द्वितीय चरण की बैठक आयोजित की गई। द्वितीय चरण की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा दिए गए निदेश एवं कार्यावली संख्या-18 अंतर्गत कृषि उप-मिशन की समीक्षा हेतु दिनांक-13.12.2018 को तीसरी चरण की बैठक आयोजित की गई।

द्वितीय चरण (दिनांक-04.12.2018)

कार्यावली सं०-१८:

(क) निश्चयावारः-

निश्चय: 1 “आर्थिक हल युवाओं को बता”

• बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (शिक्षा विभाग) :-

समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि Management quota के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अधिकांश लाभार्थी द्वारा संस्थानों में नामांकन कराया जा रहा है। इस संदर्भ में निर्देशित किया गया कि शिक्षा विभाग इस पर विचार विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई करे।

• 500 करोड़ रुपये के वैचर कैपिटल फण्ड का गठन तथा इन्व्यूबेशन सेंटर की स्थापना से संबंधित बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017:-

500 करोड़ रुपये के वैचर कैपिटल फण्ड का गठन तथा इन्व्यूबेशन सेंटर की स्थापना से संबंधित बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 के संबंध में दिनांक 16.11.2018 को दिये गए निदेश के अनुपालन में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि इस नीति के प्रक्रियागत प्रावधानों में कुछ सुधार कर इसे सरल कर लिया गया है।

निश्चय: 4 “हर घर नल का जल”

क) ‘हर घर नल का जल’ निश्चय योजना के तहत विस्तृत चर्चा के क्रम में योजना के क्रियाव्ययन में वार्ड क्रियाव्ययन एवं प्रबंधन समिति की सीमित क्षमता एवं पूर्व में प्रचलित अधिम की कुप्रथा पर रोक लगाने हेतु प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग ने कार्यहित में समिति के सदस्यों द्वारा बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से योजना में प्रयुक्त सामग्रियों का क्रय किये जाने

के स्थान पर योजना के समुचित एवं ससमय क्रियान्वयन हेतु व्यक्ति/ एजेंसी की सेवा प्राप्त किये जाने एवं अवयवार कार्य पूर्ण होने के उपरांत समिति द्वारा भुगतान किये जाने का प्रस्ताव दिया।

निर्णय-

- i) विभागीय प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए उक्त आशय के कार्य प्रवाह को fine tune कर मार्गदर्शिका तैयार करने, जिला स्तर पर हितकारियों का गहन प्रशिक्षण कराने, बिना प्रशिक्षण के कार्य प्रारंभ नहीं कराये जाने एवं कार्य पूर्ण होने पर ही भुगतान किया जाय।
- ii) दिनांक 11.12.2018 को सभी माननीय प्रभारी मंत्रियों के लिए निश्चय योजनाओं के जांच से सम्बंधित उम्मुखीकरण-सह-प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने एवं जांच के प्रमुख बिन्दुओं का एक सरल Checklist तैयार किया जाय।
- iii) सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निश्चय योजना के तहत प्रयुक्त सामग्रियों की जांच हेतु प्रथम चरण में विभागीय प्रयोगशालाओं को वांछित उपस्कर से सुसज्जित करने एवं कर्मियों का CIPET के माध्यम से प्रशिक्षण कराकर प्रयोगशालाओं को क्रियाशील किये जाने की सूचना दी गयी।

गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतों के गैर-गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में निश्चय योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन रियति पर पृच्छा किये जाने पर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आगामी दो वर्षों में संभावित लागत यथा 3,800 करोड़ रु० का प्रस्ताव उपस्थापित किये जाने एवं पंचायती राज विभाग का मंतव्य प्राप्त कर वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किये जाने की सूचना दी गयी।

निदेश-

- i) सभी कार्य विभाग एवं राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालय के प्रयोगशालाओं से निश्चय योजना में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच करायी जाय।
 - ii) 'एक ग्राम पंचायत, एक कार्य एजेंसी' के सिद्धांत के आलोक में 'हर घर नल का जल' निश्चय के बुनियादी महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतों के गैर-गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त यांशि के अंश सहित राज्य योजना भद्र से आवश्यकतानुसार शेष यांशि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय।
 - iii) उपर्युक्त व्यवस्था को अंतिम स्वरूप प्रदान करने, नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करते हुए तृतीय अनुपूरक से योजना के क्रियान्वयन हेतु यांशि प्राप्त करने एवं प्राथमिकता के आधार पर योजना का क्रियान्वयन कराया जाय।
- ग) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर निकायों में 106 स्थानों पर क्रियान्वित नल-जल की योजनाओं का दोनों विभागों के अभियंताओं के संयुक्त दल के निरीक्षण के उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित किये जाने एवं निकट भविष्य में 48 स्थानों पर योजनावार रियति का संयुक्त आंकलन कर अग्रेतर कार्रवाई किये जाने की सूचना दी गयी।

निश्चय: 6 “शौचालय निर्माण, घर का सम्मान”

क) सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ‘शौचालय निर्माण घर का सम्मान’ के समस्या लक्ष्य की प्राप्ति के साथ सेप्टिक टैंक युक्त शौचालय के साथ सोखता का निर्माण, Single pit शौचालय को Double pit में रूपांतरित करने, सम्प्रति 17 जिलों के 27 ग्राम पंचायत सहित सभी जिलों में ‘गोबरधन योजना’ का क्रियान्वयन प्रारंभ किये जाने एवं मानव अपशिष्ट के उपचार की व्यवस्था कराये जाने की सूचना दी गयी।

ख) प्रधान सचिव, कर्मसूल विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर निकायों में सामुदायिक शौचालय हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से समुचित भूखंड चिह्नित करने हेतु मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से निर्देशित किये जाने की सूचना दी गयी।

निर्देश- नगर निकायों में सार्वजनिक स्थल के अभाव की समस्या के नियाकरण हेतु घनी आबादी वाले इलाकों में आम जनता की सहमति से उनकी समिलित जमीन पर घरों का पुनर्निर्माण कराने, नवनिर्मित घरों में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने एवं पूर्व निर्मित सार्वजनिक शौचालय के परिसर में बहुमंजिले सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जाय।

निश्चय: 7 “अवसर बढ़े, आगे पढ़े”

- प्रत्येक जिला में पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) :-
अरबल जिला में भूमि हस्तांतरण के विलम्ब होने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शीघ्र भूमि हस्तांतरण हेतु कार्रवाई।

- प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग):-
जिला गोपालगंज में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा शीघ्र NOC निर्गत कर दिया जाय।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि जिला खण्डिया में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु जिला पदाधिकारी, खण्डिया द्वारा 9 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गयी है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र भेज दिया जाय।

समस्तीपुर में बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि के आवंटन हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड को राशि प्रदान किये जाने की कार्रवाई के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि उक्त भूमि को छोड़कर अन्य भूमि प्राप्त कर लिया जाय।

शेष जिलों में भूमि की समस्या के विग्रहण हेतु निर्देशित किया गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सम्बंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र नियाकरण करें।

- प्रत्येक अनुमंडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना(श्रम संसाधान विभाग):-
वैशाली में वैकल्पिक भूमि के सम्बन्ध में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि 1 1/2 एकड़ सरकारी भूमि प्राप्त कर लिया गया है, शेष भूमि Lease पर प्राप्त कर लिया जाएगा।

पटना में भूमि चिह्नित नहीं होने के सम्बन्ध में नगर विकास एवं आवास विभाग की जमीन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।



- प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (श्रम संसाधन विभाग):-
खण्डिया जिला में समाहर्ता के स्तर पर भूमि चिन्हित कर लिए जाने के सम्बन्ध में श्रम संसाधन विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (स्वास्थ्य विभाग):-
सिवाज जिले में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु राजेव्व सेवाश्रम की चिन्हित भूमि को बिःशुल्क प्राप्त किये जाने पर सहमति के बिन्दु पर लम्बित विधि परामर्श प्राप्त करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेश दिया गया।
- फार्मेसी कॉलेज की स्थापना (स्वास्थ्य विभाग):-
राज्य में फार्मेसी कॉलेज के कमी को देखते हुए 7 निश्चय के तहत लक्षित 33 पारामेडिकल संस्थान में से ही 5 को चिन्हित करते हुए उसमें फार्मेसी कॉलेज खोलने के विभागीय प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया।

(ख) सुशासन के कार्यक्रम (उप-मिशनवार)

1. युवा उप-मिशन

कौशल विकास मिशन (श्रम संसाधन विभाग):-

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कौशल विकास मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति एवं प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रक्षेत्रों में अन्य प्रशिक्षण (हनर, जीविका, ITI एवं Vocational course आदि) को भी शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जीविका एवं Vocational पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

2. पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं बगर विकास उप-मिशन

• पटना मेट्रो रेल परियोजना


प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त पूँछ के आलोक में शीघ्र उत्तर तैयार किये जाने की सूचना दी गयी।

• मनरेगा

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा राज्य में मजदूरों के पारंपरिक कार्य सहित अन्य कार्य के प्रति रुझान के आंकलन से सम्बंधित सर्वेक्षण कार्य हेतु योग्य संस्था को अनुबंधित करने के लिए RFP तैयार किये जाने की सूचना दिए जाने पर तत्काल कठिपय जिलों में विभागीय पदाधिकारियों एवं कृषि विभाग के पदाधिकारियों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों एवं मजदूरों से विमर्श कर वांछित सूचना एकत्रित करने का निदेश दिया एवं माननीय प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने विवाचन क्षेत्र से Feedback प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।

• बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना/ बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना

सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा दोनों चरणों की अद्यतन स्थिति पर प्रस्तुतीकरण के उपरांत बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत सभी बिन्दुओं का निर्स्तारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कराये जाने का निदेश दिया गया।



3. उद्योग एवं व्यवसाय उप-मिशन

• **औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016**

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के क्रियान्वयन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक 1030 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 880 प्रस्तावों को स्टेज-1 क्लियरेंस दिया गया है, जिसमें निवेश की प्रस्तावित राशि 12265.96 करोड़ रु० है। 201 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है, जिसमें निवेश की प्रस्तावित राशि 1855.24 करोड़ रु० है। अभी तक राज्य में 85 औद्योगिक ईकाइयां कार्यरत हुई हैं, जिसमें कुल निवेश 761.25 करोड़ रु० है तथा कुल नियोजन प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 2820 है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि इस नीति के तहत अभी तक लगभग 27 करोड़ रु० अनुदान के रूप में विमुक्त किया गया है।

• **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना**

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल प्राप्त 18987 आवेदन में से 1205 आवेदकों को इस योजना अंतर्गत लाभ देने हेतु चयनित किया गया है। अभी तक 425 आवेदकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है। 398 आवेदकों हेतु कुल 33.80 करोड़ रु० स्वीकृत हुआ है, जिसमें 218 आवेदकों को प्रथम किस्त 4.71 करोड़ रु० वितरित किया गया है। प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि पहले तीन संस्थानों में ही प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा था, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 11 संस्थानों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। योजना के तीव्र क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण के दौरान ही 15 दिनों के अन्दर सभी पेपर वर्क कर लिया जायेगा।

• **गन्ना उद्योग विभाग**

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम एवं चीनी मिल प्रोत्साहन योजना/ पैकेज के क्रियान्वयन की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013-14 में उपलब्ध सबसे अच्छी रही थी एवं 2017-18 में भी उपलब्ध ठीक रही है। वर्तमान में 11 चीनी मिलों में 9 मिल चालू हैं, जबकि सासामूसा एवं रीगा चीनी मिल क्रमशः 7 दिसम्बर, 2018 एवं 15 दिसम्बर, 2018 से चालू हो जायेंगे। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 में बकाया पेमेंट हेतु राशि विमुक्त नहीं की गई है। 2018-19 हेतु सब्सिडी क्लियर नहीं हुआ है। 2017-18 में 90% चीनी मिलों का भुगतान हो चुका है, जबकि रीगा एवं सासामूसा का बाकी है।

रीगा एवं सासामूसा के शीघ्र बकाया भुगतान का निदेश दिया गया ताकि किसानों को कोई दिवकरत न हो।

एथनॉल उत्पादन के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि 5 जगहों पर डिस्ट्रिलरी ईकाई की स्थापना की गई है जबकि मंझौलिया में लगाया जा रहा है। एथनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाने हेतु निदेशित किया गया।

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि बगह में इसके उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की गई है। शराब बंदी के बाद एथनॉल की मार्केटिंग में सुधार हुआ है, इसलिए ऐसे रेट का प्रस्ताव देना है जिससे किसान को हानि न हो। निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द गन्ना का मूल्य एवं सब्सिडी संबंधी उचित प्रस्ताव तैयार किया जाय। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि पुरानी एवं बड़ी चीनी मिलों में चीनी निकवरी रेट बढ़ा है।

- आई०आई०टी० पटना में ESDM का इनकायूबेशन सेंटर की स्थापना

सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा आई०टी० रोड मैप के तहत क्रियान्वित विभिन्न घटकों की समीक्षा के क्रम में सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा बताया गया कि आई०आई०टी० पटना में ESDM का इनकायूबेशन सेंटर को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिंग के द्वारा अगस्त, 2019 तक तैयार कर लिया जायेगा। 100 सीटों वाले इनकायूबेशन सेंटर की स्थापना में विलंब के संबंध में सचिव द्वारा बताया गया कि बी०आई०टी०, मेसरा द्वारा सहमति दी गयी है और विलंब उनकी सोसाईटी के स्तर पर निर्णय लेने में हुआ है। विलंब पर शासी निकाय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा गया कि बी०आई०टी०, मेसरा (पटना कैम्पस) का जमीन एवं भवन राज्य सरकार का ही है तो फिर देर नहीं होनी चाहिए।

- आई०टी० टावर

(आई०टी० टावर Short Term) के संबंध में अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि बिड डॉक्यूमेंट कैबिनेट में नहीं आता है, इसे विभाग स्तर से ही खिलायर किया जाय। आई०टी० टावर (Mid Term) के संबंध में सचिव द्वारा बताया गया कि बन्दर बगीचा में आवंटित भूमि MLA / MLC पूल का है, जिसमें क्वाटर बना हुआ है तथा माननीय सदस्य रह रहे हैं। निर्देशित किया गया कि भवन निर्माण विभाग द्वारा कोई वैकल्पिक भूमि/ क्वाटर देने पर विचार करें, इसमें विधान सभा को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

4. मानव विकास उप-मिशन

- मिशन मानव विकास

निर्देशित किया गया कि-

- राज्य में बच्चों में Stunted Growth की समस्या में कमी लाने हेतु पूर्व से संचालित योजनाओं के अतिरिक्त एक विशिष्ट योजना बनाने पर विचार किया जाए, जिसमें लाभ की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान हो।
- राज्य में कन्या शिशु की मृत्यु दर बालक शिशु की अपेक्षा अधिक है। (बालक शिशु एवं कन्या शिशु प्रति 1000 जीवित जन्में शिशुओं में क्रमशः 31 एवं 46 हैं)। अतः लड़कियों में IMR वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु SNCU (विशेष नवजात देखभाल इकाई) को नवजात बालिकाओं की भर्ती करने हेतु आशाओं को प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन राशि तथा माताओं को क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराने के संबंध में विभाग योजना बनाये।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचित किया गया कि सम्पूर्ण टीकाकरण के आच्छादन को 84 प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च, 2019 तक 90 प्रतिशत कर लिया जायेगा। निर्देश दिया गया कि पूर्ण टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर राज्य के देश के शीर्ष पांच राज्यों की सूची में शामिल कराया जाए।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों का स्वास्थ्य जाँच उपरांत दिये जाने वाले स्वास्थ्य कार्ड को प्रत्येक 2 वर्षों में जबीकरण किये जाने के संबंध में विभाग विचार करें।
- मातृत्व मृत्यु दर (MMR) एवं शिशु मृत्यु दर (IMR) में बांधित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में संस्थागत प्रसव के लिए आए गर्भवती माताओं को कम-से-कम 24 घंटे ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।



vi. स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लगभग 2.5 प्रतिशत गर्भवती माताओं को जबनी एवं बाल सुरक्षा योजना (JBSY) का भुगतान लंबित है। JBSY के प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को डिस्चार्ज से पूर्व किये जाने हेतु राज्य स्तर से निरंतर अनुश्रवण किया जाय।

• **स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के प्रथम चरण के सुधार कार्यक्रम-**

- i. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैंडलाईन का अधिष्ठापन एवं 24x7 चिकित्सकों की उपस्थिति- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों में अधिष्ठापित फोन को क्रियाशील रखने हेतु BSNL के पदाधिकारीयों से समन्वय कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अधिष्ठापित लैंड लाईन फोन के विपत्र के भुगतान की केंद्रीयकृत व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर की जाए।
- ii. विभाग के स्तर से दूरभाष पर प्रतिदिन 50-60 संस्थानों में नियमित फोन कर चिकित्सकों की उपस्थिति, दवा की उपलब्धता तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाय।

• **शिक्षा विभाग -**

- i. प्रत्येक ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग शीघ्र कार्रवाई करें। माध्यमिक विद्यालयों को उत्कमित करने के साथ ही इसके लिए नये भवन निर्माण हेतु बजट उपबंध कराने की कार्रवाई विभाग करे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में MSDP) योजना से भी भवन निर्माण कराने का निर्देश दिया गया।
- ii. वित्त राहित विद्यालय से आच्छादित ग्राम पंचायतों में भी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु कार्रवाई की जाए। इस हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प में भी यदि संशोधन आवश्यक हो तो उसे संशोधित कराने की कार्रवाई की जाए।
- iii. मोबाइल एप BEST (Bihar Easy School Tracking) के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति का भी अनुश्रवण कराने का निर्देश दिया गया।
- iv. नव निर्मित मॉडल स्कूल के भवनों में अध्यापन का कार्य प्रारंभ कराया जाय।
- v. उच्च शिक्षा - राज्य का सकल नामांकन अनुपात (GER) जो वर्ष 2017-18 में 13.0 है, को बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाय।

• **समाज कल्याण विभाग**

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

- i. वैसे पेंशनधारी जिनका खाता E-labharthi portal पर अपलोड है, परन्तु पेंशन की राशि नहीं मिल रही है, उनका पेंशन भुगतान शीघ्र कराया जाय।
- ii. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में छूटे हुए पेंशनधारियों के पेंशन भुगतान हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा छूटे हुए योग्य लाभार्थियों का नाम जोड़ने एवं उन्हें पेंशन का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) काउंटर पर पेंशनधारियों का बैंक खाता खोलने एवं आधार बनवाने हेतु भी आवश्यक व्यवस्था की जाए। साथ ही RTPS पर एक नयी व्यवस्था को जोड़ने के संबंध में समाज कल्याण विभाग, सामाज्य प्रशासन विभाग (बिहार प्रसानिक सुधार मिशन सोसाईटी) एवं वित्त विभाग से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करें।

- कबीर अन्वेषित अनुदान योजना -

कबीर अन्वेषित योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी ग्राम पंचायतों को Revolving Fund उपलब्ध होनी चाहिये, जिसमें किसी भी समय कम-से-कम 15 हजार रु० की उपलब्धता होनी चाहिये, ताकि मृतक के आश्रित को तुरंत भुगतान किया जा सके ।

- बुनियाद केन्द्र -

बुनियाद केन्द्र का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, विभाग इसका अनुश्रवण करें। जिले के प्रभारी सचिवों द्वारा जिलों के भ्रमण के क्रम में बुनियाद केन्द्रों का भी निरीक्षण करें।

- आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण -

विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मनरेगा के सम्बन्ध से आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। भारत सरकार से राशि कम प्राप्त होने के कारण लक्ष्य के अनुरूप केन्द्रों का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है। अपर मुख्य सचिव, अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में MSDP) से आच्छादित प्रखंडों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से भी आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जा सकता है।

निवेश :- मनरेगा से सम्बन्ध कर आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण में आ रहे बाधाओं को दूर करने हेतु बैठक का आयोजन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कराया जाय।

- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

i. विभाग द्वारा सूचित किया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के कन्या सुरक्षा योजना अन्तर्गत MIS तैयार है, जिसपर पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्राप्ति एवं भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग से समय नियमित ऑफेंस (Data) प्राप्त किये जाने हेतु एक समेकित MIS विकसित की जाने की आवश्यकता है, ताकि लक्ष्य के विरुद्ध होने वाले उपलब्धियों की प्रगति की समीक्षा के साथ ही ऑफेंस का संधारण किया जा सके।

ii. स्वास्थ्य संस्थानों में संस्थागत प्रसव के तहत जन्म लेने वाली कन्या संतानों को “मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना” का लाभ दिये जाने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग उनके डाटा को प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करें।

iii. “मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना” की प्रगति में तीव्रता लाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के साथ ही प्रखंड/जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाय।

iv. “मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना” की प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन कराया जाय।

- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा/अनु०जाति एवं अनु० जबजाति कल्याण विभाग

i. जननायक कपूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास - चार जिलों (दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली एवं लखीसराय) में छात्रावास निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में मुख्य सचिव के स्तर पर भूमि संबंधी समस्या के विदान हेतु बैठक का आयोजन कराया जाय।

ii. अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास - जिन जिलों (नालंदा, गोपालगंज, सहरसा, बवादा, बक्सर, पूर्णिया एवं अरारिया) में छात्रावास निर्माण हेतु भूमि अबतक उपलब्ध नहीं हो सका है, उन जिलों से सम्बन्ध कर भूमि चिह्नित करने की कार्रवाई करें, ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा सके।

iii. अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण छात्रावास - पूर्व से जिलों में संचालित जर्जर छात्रावास भवनों को चिह्नित करने की कार्रवाई विभागीय पदाधिकारियों का टीम गठित कर एक माह के अन्दर पूर्ण कर लें। यदि आवश्यकता हो तो उनकी जगह पर नये भवनों का निर्माण कराया जाय। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन कराया जाय।

• **अल्प संख्यक कल्याण विभाग -**

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के लिए जिन जिलों में भूमि उपलब्ध नहीं हैं, उनमें वकफ बोर्ड से समन्वय कर वकफ बोर्ड की भूमि चिह्नित की जाए।

5. आधारभूत संरचना उप-मिशन

• **ग्रामीण कार्य विभाग**

- i. सूचित किया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क क योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में लक्षित बसावटों को जून, 2019 तक संपर्कता प्रदान कर दी जाएगी।
- ii. ग्रामीण पथों के अनुरक्षण हेतु Universal Maintanance Policy लागू कर दी गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से अगले 02 वर्षों में सभी ग्रामीण पथ आवागमन के योग्य हो जायेंगे। इसके लिए यूनिवर्सल मैटेनेंस पॉलिसी का क्रियान्वयन जनवरी, 2019 तक प्रारंभ करने हेतु निदेश दिया गया।
- iii. अगले वित्तीय वर्ष में MMGSY के अंतर्गत बचे हुए सभी सङ्कों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए बजट उपबंध की राशि के 5 गुणा के बराबर की राशि के समतुल्य राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने के अनुरोध पर मुख्य सचिव को सभी अभियंत्रण विभागों के साथ बैठक कर हल निकालने का निदेश दिया गया।

• **पथ निर्माण विभाग**

- i. सूचित किया गया कि विजन 2020 के तहत एक्षन प्लान वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में निर्माण किये जाने वाले अब तक 277 पथों एवं 92 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। अब तक 177 पथों एवं 47 पुलों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें से 52 पथों एवं 11 पुलों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
 - ii. 12 महत्वपूर्ण पुल/फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें
 - NH-30 के आग-छपरा के बीच गंगा नदी पर निर्मित पुल पर दिसम्बर, 2018 तक 4-लेन आवागमन शुरू हो जाएगा।
 - सहरसा जिला कोसी नदी पर बलुआहा घाट एवं गंडौल के बीच निर्माणाधीन पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के सहरसा भ्रमण के क्रम में किए जाने का प्रस्ताव है।
 - दाउदनगर-नासरीगंज के बीच सोन नदी पर निर्माणाधीन पुल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के औरंगाबाद भ्रमण के क्रम में किए जाने का प्रस्ताव है।
 - बंगराघाट में SH-74 से SH-90 के बीच गंडक नदी पर निर्माणाधीन पुल को मई, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

- पटना केनाल के ऊपर 4-लेन एलिवेटेड हाईवे का निर्माण कार्य मई, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
 - बापू सभागार के पास निर्मित किए जा रहे सम्मत द्वार के Back Drop में गंगा पथ का एलिवेटेड संरचना है। इस Back Drop में दृश्य-सुधार (Visual Change) हेतु विभाग से आवश्यक प्रस्ताव अपेक्षित है। निदेश दिया गया कि एलिवेटेड संरचना को ध्यान में रखते हुए सम्मत द्वार के Back Drop में दृश्य-सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।
 - अगुआनी घाट एवं सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल को मार्च, 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
 - सारण जिला अंतर्गत छपरा शहर के गांधी चौक से नगरपालिका चौक के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।
- iii. OPRMC अंतर्गत अब तक 6263 किमी⁰ पथ का अनुरक्षण पूर्ण किया जा चुका है।
- iv. वर्ष 2018-19 से अगले 07 वर्ष के लिए OPRMC-2 लागू की जा चुकी है।
- v. बताया गया कि Bridge Maintenance Policy का सूत्रण शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

• ऊर्जा विभाग

- i. राज्य के सभी जर्जर तारों को बदलने का कार्य दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाए।
- ii. विभाग द्वारा सूचित किया गया कि विद्युत् क्षेत्र में सृजित आधारभूत संरचना के रख-रखाव हेतु नई नीति का सूत्रण पूर्ण है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2018-19) में इसे लागू किये जाने का लक्ष्य है।

• परिवहन विभाग

सूचित किया गया कि

- i. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु राज्य सड़क सुरक्षा नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत Patrolling Vehicle, Ambulance, Crash Rescue Vehicle एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा 114 स्थलों पर दुर्घटना के रोक हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है। साथ ही 999 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तथा 44 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सेवा ली जा रही है। निदेश दिया गया कि सड़क दुर्घटना की संभावना वाले चिह्नित स्थलों पर FOB एवं PUP के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र दी जाय।
- ii. ASRTU के रेट कॉन्फ्रैट के आधार पर 07 वॉल्यो बसों के परिचालन हेतु चयनित बस ऑपरेटर के साथ एकत्रित नामा किया जा रहा है। बताया गया कि सभी 07 बसों का परिचालन माह दिसम्बर, 2018 में प्रारंभ हो जाएगा।
- iii. ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन सुविधा सुलभ कराने तथा कमजोर वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गई है, जिसमें इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। लक्षित 41,930 के विरुद्ध अब तक कुल 29,565 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 9,773 लाभार्थी का चयन किया गया है।

- भवन निर्माण विभाग

- सूचित किया गया कि

भवनों के भूकम्परोधी निर्माण की योजना के अंतर्गत 13 भवनों के पूर्ण ऐट्रोफिटिंग के लक्ष्य के बिन्दु राजकीय अतिथिशाला, पठना के ऐट्रोफिटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्य सचिवालय भवन एवं 1 अणे मार्ग स्थित आवासीय भवन का कार्य प्रगति पर है।

6. कृषि उप-मिशन

इस उप-मिशन की समीक्षा दृतीय चरण (दिनांक-13.12.2018) को करने का निर्णय लिया गया।

7. लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप-मिशन

- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- सूचित किया गया कि

i. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह- स्मृति स्तूप, वैशाली- बताया गया कि संग्रहालय निर्माण हेतु निविदा दिनांक 26.12.2018 तक आमंत्रित की गयी है तथा पहुँच पथ हेतु 1.84 एकड़ अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन प्रक्रियाधीन है।

निदेश - बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण Stone Masonary से किया जाना है, अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि Structural Design इसके अनुरूप हो। पहुँच पथ हेतु 1.84 एकड़ अतिरिक्त भूमि के भू-अर्जन के साथ-साथ संग्रहालय निर्माण हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय।

ii. लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन -सह- पुस्तकालय, सारण- बताया गया कि स्मृति भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा उपर्युक्त क्रय हेतु निविदा निष्पादित की जा चुकी है। नवनिर्मित स्मृति भवन तक पहुँच पथ के निर्माण हेतु 5.57 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है तथा इसके निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा का निष्पादन किया जा रहा है।

निदेश - लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन में लोकनायक के जीवन एवं कार्यों से सम्बन्धित वस्तुएं एवं स्मृति चिन्ह संग्रहित एवं प्रदर्शित किया जाय। इस कार्य में लोकनायक से सम्बन्धित शोध संस्थानों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

iii. लखीसराय संग्रहालय - सूचित किया गया कि परामर्शी का चयन कर लिया गया है तथा तैयार किये गए वास्तुविदीय बक्शा पर विभागीय अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

निदेश - लखीसराय संग्रहालय में स्थानीय पुरावशेषों के अतिरिक्त लाल पहाड़ी में उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों को भी संग्रहित किया जाना है, अतः प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग स्वयं भ्रमण कर लाल पहाड़ी में उत्खनन एवं लखीसराय संग्रहालय के निर्माण कार्य का अनुश्रवण कर लें।

iv. गाँधी स्मारक संग्रहालय, भितिहरवा - बताया गया कि संग्रहालय परिसर में एक बड़े हॉल का निर्माण तथा गेस्ट हाउस के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

निदेश - गाँधी स्मृति संग्रहालय भितिहरवा का जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

v. मिथिला ललित संग्रहालय, सौराठ, मधुबनी - बताया गया कि संवेदक के चयन हेतु पुनर्निविदा आमंत्रित की गयी है जिसका निष्पादन प्रक्रियाधीन है।

vi. बिहारशरीफ संग्रहालय - निर्माण हेतु चिन्हित भूमि (बिहारशरीफ बस स्टैंड) का हस्तांतरण परिवहन विभाग से कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को किया जाना है।

- vii. महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा - पुराने भवन का जीर्णोद्धार प्रगति पर है तथा पुरावशेषों के संरक्षण हेतु NRLC, लखनऊ से एकरानामा प्रक्रियाधीन है।
- viii. पट्टना संग्रहालय का विस्तारीकरण - परामर्शी का चयन कर लिया गया है तथा PPR दिसम्बर, 2018 तक तैयार किया जाना है। इस संग्रहालय में रक्षित पुरावशेषों के संरक्षण तथा रासायनिक उपचार हेतु NRLC, लखनऊ से एकरानामा प्रक्रियाधीन है।
निदेश - उपरोक्त सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाय।
- ix. मिथिला चित्रकला संस्थान का निर्माण - बताया गया कि भवन निर्माण हेतु 27.48 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है तथा आमंत्रित पुनर्निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। प्रशिक्षकों के 7 पदों के विरुद्ध 3 का चयन कर लिया गया है तथा प्रशिक्षुओं का चयन प्रक्रियाधीन है। सर्टीफिकेट कोर्स का संचालन दिसम्बर, 2018 से प्रस्तावित है। डिग्री कोर्स हेतु प्रशिक्षुओं की निधारित आयु सीमा में संशोधन विचाराधीन है।
निदेश - मिथिला चित्रकला संस्थान का संचालन शीघ्र आरम्भ किया जाय।
- x. प्रेषाण्ड - सह - आर्ट गैलरी का निर्माण - सूचित किया गया कि 8 जिला मुख्यालयों में निर्माण का लक्ष्य है जिसमें से 3 में कार्यारम्भ कर दिया गया है तथा 3 में प्रावक्लन निर्माण प्रक्रियाधीन है। गया तथा भागलपुर में भूमि अप्राप्त है, जिसके शीघ्र चयन का निदेश दिया गया।
- xi. गाँधी स्मृति नगर भवन का निर्माण - सूचित किया गया कि लक्षित 3 गाँधी स्मृति नगर भवनों में से भोतिहारी तथा बेतिया में निविदा आमंत्रित कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर में भूमि चयन शेष है। शीघ्र चयन कराये जाने का निदेश दिया गया।
- xii. फिल्म सिटी का निर्माण - सूचित किया गया कि राजगीर में फिल्म सिटी हेतु 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर ली गयी है तथा चहारदीवारी निर्माण कार्य प्रगति पर है। PPP मोड में निजी भागीदार के चयन हेतु Bid डॉक्यूमेंट का अनुमोदन तथा Investor's Meet हेतु तिथि निर्धारण किया जाना है। बिहार राज्य फिल्म विकास प्रोत्साहन नीति के प्रारूप में संशोधन किया जाना है।
निदेश - राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण तथा बिहार राज्य फिल्म विकास प्रोत्साहन नीति के सूत्रण हेतु अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का भी सहयोग प्राप्त किया जाय।
- xiii. भारतीय बृत्य कला मंदिर - बताया गया कि जीर्णोद्धार/नव निर्माण कार्य हेतु 4.61 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है तथा तकनीकी निविदा विस्तारण की प्रक्रिया में है।
- xiv. पुरास्थलों के संरक्षण/ घेराबंदी - बताया गया कि पुरास्थलों की घेराबंदी एवं सौन्दर्यीकरण के अधिकांश योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, परंतु कुछ योजनाएं अतिक्रमण के कारण लंबित हैं। 'राजगीर पुरातत्व सर्वेक्षण परियोजना' के सम्बन्ध में बताया गया कि राजगीर परिक्षेत्र में 160 पुरास्थलों का अन्वेषण कार्य संपन्न कर लिया गया है तथा प्रतिवेदन लेखन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2018-19 में अन्वेषण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान से अनुज्ञाप्ति प्राप्त हो गयी है तथा Drone Photography, Total Station Survey तथा Cyclopean wall का समग्र पुरातात्त्विक अन्वेषण किया जाना है।
निदेश - चौसागढ़ (बक्सर) तथा महमूद शाह का मकबरा (कहलगांव) की घेराबंदी का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय। चिरांद में पुरातात्त्विक स्थल के संरक्षण तथा विकास हेतु समुचित कार्रवाई किया जाय। रामपुरवा अशोक स्तम्भ के शीर्ष पर अवस्थित सिंह, जो कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है उसे वापस लाने का प्रयास किया जाय। पुरातात्त्विक स्थल लाल पहाड़ी, लखीसराय

के उत्थनन एवं यहाँ से प्राप्त अवशेषों के संग्रह एवं संरक्षण के कार्यों को पूर्ण कराया जाय। कुटुम्बा, औरंगाबाद में उत्थनन से सम्बंधित प्रतिवेदन को भी प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित किया जाय। केसरिया में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित पुरातात्त्विक क्षेत्र में रौशनी की व्यवस्था ASI से समन्वय सथापित कर सुनिश्चित की जाय।

पुरातात्त्विक संरक्षण एवं विकास से सम्बंधित सभी योजनाओं की समीक्षा तथा इनका अनुश्रवण मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम-कार्यान्वयन के स्तर पर भी किया जाय।

xv. तेल्हाड़ा में Site Museum का निर्माण - सूचित किया गया कि भूमि का चयन कर लिया गया है तथा चहारदीवारी निर्माण हेतु प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है य संग्रहालय भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किया जाना है।

निदेश - तेल्हाड़ा (नालंदा) में उत्थनित पुरावशेषों के संरक्षण हेतु Site Museum का निर्माण कराया जाय।

• पर्यटन विभाग

i. **रज्जू मार्गों का निर्माण** - बताया गया कि 8 रज्जू मार्गों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से राजगीर तथा मंदार पर्वत, बांका में कार्य प्रगति पर है। रोहतासगढ़ किला तथा ब्रह्मोनी रज्जू मार्ग निर्माण हेतु स्टेज -1 की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है तथा Working permission हेतु कार्यवाई की जा रही है। दूंगेश्वरी तथा प्रेतशिला पर्वत (गया) में रज्जू मार्ग के निर्माण हेतु स्टेज -1 की स्वीकृति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। मुंडेश्वरी तथा वाणावार रज्जू मार्गों के लिए भारत सरकार से Forest Clearance प्राप्त किया जाना है।

निदेश - मंदार पर्वत रज्जू मार्ग का निर्माण कार्य 14, जनवरी 2019 तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जाय ताकि मंदार महोत्सव में इसका परिचालन आरम्भ किया जा सके। रोहतासगढ़ किला तथा ब्रह्मोनी रज्जू मार्ग में Working Permission प्राप्त कर शीघ्र कार्यारम्भ किया जाय। दूंगेश्वरी, प्रेतशिला, वाणावार तथा मुंडेश्वरी रज्जू मार्गों की स्वीकृति भारत सरकार से समन्वय कर शीघ्र प्राप्त की जाय।

ii. **परियों का विकास** - सूचित किया गया कि जैन परिपथ, कांवरिया परिपथ तथा गाँधी परिपथ में कार्यारम्भ हो चुका है, मंदार एवं अंग प्रदेश परिपथ में निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है, रामायण परिपथ एवं बुद्ध परिपथ के DPR में संशोधन किया जा रहा है तथा बापू परिपथ का DPR भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। जैन परिपथ में 61%, गाँधी परिपथ में 38% तथा कांवरिया परिपथ में 91% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सूफी परिपथ के विकास हेतु 97.12 करोड़ का PPR तैयार है जो विभागीय स्तर पर विवादाधीन है। गुरु परिपथ के विकास हेतु 17 योजनायें क्रियान्वित हैं जिनमें से 6 पूर्ण तथा 11 निर्माणधीन हैं। परिपथ हेतु 12 स्थल चिह्नित हैं जिनमें से 7 स्थलों में कार्य कराया गया है, शेष चिह्नित स्थलों के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना है।

iii. **घोड़ा कट्टोरा, नालंदा का विकास** - बताया गया कि बुद्ध मूर्ति का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पेय जल एवं पशुओं के लिए सौर आधारित जलापूर्ति योजना (PHED) हेतु निविदा निष्पादित कर लिया गया है।

iv. **प्रकाश पुंज का निर्माण** - बताया गया कि प्रकाश पुंज के निर्माण हेतु 48 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है तथा पाइलिंग का कार्य प्रगति में है।

- v. महाबोधि कन्वेशन केंद्र, बोधगया का निर्माण - बताया गया कि निर्माण हेतु 145.14 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है तथा दिनांक 13.10.2018 से कार्यारम्भ किया गया है।
- पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 - i. वाल्मीकिनगर व्याघ्र आरक्ष - विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वाल्मीकि विहार का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा जल संसाधन विभाग से 200 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर ली गयी है। वाल्मीकिनगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेशन सेंटर, दूरस्थ कॉम्प्लेक्स का निर्माण, पर्यटकीय सुविधाओं का विकास तथा मोटर बोट सफारी प्रस्तावित है, जिसके लिए कार्ययोजना तैयार की जानी है।
निदेश - वाल्मीकिनगर व्याघ्र आरक्ष के विकास हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए। बोट सफारी शीघ्र आरम्भ कराया जाये तथा बैटरी ऑपरेटेड मोटर बोट का प्रयोग किया जाय।
 - ii. घोड़ा कटोरा (राजगीर) - सूचित किया गया कि इको रेस्टोरेशन/वृक्षारोपण/शैचालय/वाव द्वारा/एंटी पौचिंग कैंप का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। घोड़ा कटोरा में पार्क निर्माण (4.9 करोड़) तथा नेचर सफारी (19.29 करोड़) की योजना स्वीकृत है तथा झील के किनारे पाथरे निर्माण एवं बांस का पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। जैन पर्वत (राजगीर) में पाथरे का उन्नयन कार्य हेतु 6.6 करोड़ का संशोधित प्रावक्तव्य तैयार कर लिया गया है।
निदेश - घोड़ा कटोरा, राजगीर में बैटरी ऑपरेटेड मोटर बोट का प्रयोग किया जाय ताकि नदी के जल को प्रदूषण से बचाया जा सके। राजगीर में विश्व शांति रत्नपूर्ण तथा अशोक स्तम्भ तक जाने के लिए पैदल मार्ग को शीघ्र ठीक करा लिया जाय।
 - iii. भीम बांध (मुंगेर) - सूचित किया गया कि भीम बांध के विकास हेतु लक्षित 6 योजनाओं में से 4 निर्माणाधीन हैं, 1 में डिजाइन परिवर्तन प्रक्रियाधीन तथा 1 लंबित है।
निदेश - भीम बांध में गर्म जल खोतों को संग्रहित करते हुए अलग स्नान कुंड का निर्माण कराया जाय ताकि जल के तापमान को स्नान योग्य बनाया जा सके तथा अवशिष्ट जल को कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जाय।
 - iv. मुंडेश्वरी (कैम्बू) - सूचित किया गया कि इको पार्क के निर्माण हेतु संशोधित DPR तैयार किया जाना है।
- सूचना एवं जन संपर्क विभाग
 - Integrated common Website का निर्माण** - सूचित किया गया कि State Data Centre पर वेबसाइट होस्ट कर दिया गया है। 7 विभागों से Website Content का सत्यापन प्राप्त है तथा शेष प्रक्रियाधीन है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब के सम्बन्ध में बताया गया कि सोशल मीडिया (Facebook, Twitter, Youtube, Google+ एवं Instagram) के माध्यम से सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रेस क्लब भवन का निर्माण के सम्बन्ध में बताया गया कि 36 जिला मुख्यालय में निर्माण का लक्ष्य है। 33 जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 1 निर्माणाधीन (सीवान) तथा 2 (गया तथा जमुई) में निर्माण किया जाना है।
 - भवन निर्माण विभाग
 - पट्टना में बापू द्वारा का निर्माण** - विभाग द्वारा सूचित किया गया कि 84.49 करोड़ की योजना का शिलान्वास कर लिया गया है तथा निर्माण हेतु परामर्शी का चयन किया जाना है।

तृतीय चरण (दिनांक-13.12.2018)

कार्यावली सं०-१८:

(क) निश्चयवार:-

निश्चय: १ “आर्थिक हल युवाओं को बल”

• बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (शिक्षा विभाग) :-

- i. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत संपन्न परिवार के आवेदकों द्वारा इस योजना का लाभ Management quota के तहत उदया जा रहा है।
इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि ऐसे संपन्न परिवार से आने वाले आवेदकों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं दिया जाय।

निश्चय : ४ हर घर नल का जल

क) ‘हर घर नल का जल’ निश्चय योजना के तहत विस्तृत चर्चा के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि :

- i. योजना के क्रियान्वयन में मॉडल प्राक्कलन की विशिष्टियों का अक्षरण किये जाने की स्थिति में तकनीकी रवीकृति प्रदान किये जाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
- ii. योजना के तहत अग्रिम दिए जाने की परंपरा को समाप्त कर अवयववार कार्य पूर्ण होने के उपरांत समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा।

ख) सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतों के गैर-गुणवत्ता प्रभावित वार्ड में निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव लोक वित्त समिति से अनुमोदित कराकर शीघ्र मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु उपस्थापित किये जाने की सूचना दी गयी।

ग) मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन द्वारा गैर-गुणवत्ता प्रभावित वार्ड में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा विभागीय कार्य कराने के निमित्त PWD कोड में संशोधन हेतु संलेख तैयार किये जाने की सूचना दी गयी।

निश्चय : ६ शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि राज्य में 61,378 सामुदायिक शौचालय Seats निर्माण हेतु भूखंड की आवश्यकता है, जिसमें से 10,550 Seats के निर्माण हेतु भूखंड चिह्नित किया जा चुका है। समुचित आकार के भूखंड के अभाव में शेष सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु Double एवं Triple Storied सामुदायिक शौचालय का मानक प्राक्कलन सभी नगर निकायों को प्रेषित किया जा चुका है।

बिश्चय : 7 अवसर बढ़े, आगे पढ़े

- प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना / प्रत्येक जिला में पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) :-
प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बताया गया कि सभी जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाय।
- प्रत्येक जिलों/ अनुमंडलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (श्रम संसाधन विभाग) :-
प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि सभी जिलों/ अनुमंडलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि भूमि का हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर लिया जाय।

(ख) सुशासन के कार्यक्रम (उप-मिशनवार)

1. युवा उप-मिशन

१. कौशल विकास मिशन (श्रम संसाधन विभाग) :-

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जीविका के तहत चल रहे प्रशिक्षण को शामिल करने हेतु बैठक हो गयी है तथा सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मिलकर 2-3 दिन के भीतर एक पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जायेगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कृषि विभाग के अंतर्गत RPL (Recognition of prior Learning) प्रशिक्षण कार्यक्रम (60-80 घंटों का) चलाकर प्रशिक्षणार्थियों को Certification करने हेतु एजेंसी का चयन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि Certification हेतु एजेंसी का चयन शीघ्र कर लिया जाय।


२. राज्य के सभी प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) :-

प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा बताया गया कि निर्माण हेतु शेष 259 प्रखंडों में से इस वित्तीय वर्ष में 50 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु बजट का प्रावधान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि शेष 209 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण आगामी वर्षों में पूर्ण कर लिया जाय।

2. पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप-मिशन

३. मनरेगा

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग द्वारा विमर्श के क्रम में सूचित किया गया कि प्रारंभिक तौर पर 5 जिला यथा वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, गया एवं सारण जिलों में विभागीय पदाधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण कर समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं :



- i. गया एवं सीतामढ़ी जिला में सर्वेक्षित परिवारों से छ: माह से अधिक अवधि के लिए 50% से अधिक सदस्य रोजगार की ओज में राज्य से बाहर जाते हैं तथा इनमें से अधिकतर लोग गैर-कृषि क्षेत्र जैसे असंगठित क्षेत्र, रिक्षा चालक, कुली एवं बोझ उठाने का कार्य करते हैं।
- ii. सारण, समस्तीपुर एवं वैशाली जिला में सर्वेक्षित परिवारों से छ: माह से अधिक अवधि के लिए 50% से अधिक सदस्य को राज्य में ही रोजगार प्राप्त होता है तथा इनमें से अधिकतर लोग कृषि एवं निर्माण क्षेत्र में कार्य करते हैं।
साथ ही उनके द्वारा राज्य के सभी जिलों में सर्वेक्षण कराकर विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र उपस्थापित करने का आश्वासन दिया गया।

3. उद्योग एवं व्यवसाय उप-मिशन

१. सूचना प्रावैधिकी विभाग

सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा आई०टी० रोड मैप के तहत Mid Term में आई०टी० ठावर/ पार्क हेतु बन्दर बगीचा में आवंटित भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में बताया गया कि भवन निर्माण विभाग द्वारा सचिव, बिहार विधान सभा से बन्दर बगीचा स्थित आवास संख्या-०२ एवं ०३ में आवासित मानवीय सदस्यों को विधान सभा पूल से अन्य आवास आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

२. गन्ना उद्योग विभाग

- i. रीगा एवं सासामूसा चीनी मिल को गन्ना की आपूर्ति करने वाले किसानों के गत वर्ष की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि बकाये ईख मूल्य के भुगतान हेतु दोनों चीनी मिलों को निदेश दिया गया है। इसे सुनिश्चित करने हेतु रीगा चीनी मिल एवं सासामूसा चीनी मिल के गोदाम में जब्त की गई चीनी की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि का क्रमशः 70% एवं 60% धनराशि को ईख मूल्य मद में भुगतान कराने की व्यवस्था की गयी है तथा उक्त दोनों मिलों द्वारा किसानों को किये जाने वाले भुगतान में बढ़ोतारी भी हुई है।
- ii. निजी चीनी मिलों में इथेनॉल के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सूजित करने के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि मझौलिया एवं सिधवलिया चीनी मिल द्वारा डिस्टीलरियों की स्थापना की जा रही है। बगहा चीनी मिल द्वारा जोलासेस के भंडारण हेतु क्ये टैकर का निर्माण किया जा रहा है।
- iii. बिहार सुगर मिल एसोसियेशन एवं गन्ना उद्योग विभाग द्वारा बैठक कर गन्ने के उचित दर के निर्धारण के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव स्तर पर इस संबंध में बैठक की गई है तथा इसका प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र उपस्थापित किया जायेगा। इस संबंध में निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव से सहयोग प्राप्त कर गन्ना मूल्य के दर एवं उसपर सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के शीघ्र निर्धारण हेतु कार्रवाई की जाय।

4. मानव विकास उप-मिशन

• मिशन मानव विकास

- i. बताया गया कि राज्य के बच्चों में Stunted Growth की समस्या में कमी लाने हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास से एक योजना का सूत्रण किया जा रहा है। इस योजना के तहत Premature जन्म लेने वाले बच्चे को संभावित Stunted बच्चे मानते हुए उन्हें जन्म के समय से 6 वर्षों तक (3 वर्ष तक स्वास्थ्य एवं 3 वर्ष तक समाज कल्याण विभाग द्वारा) मॉनिटर किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- ii. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर fixed wireless phone (FWP) लगाने के सम्बन्ध में बताया गया कि इसे 31 दिसम्बर, 2018 तक पूरा करते हुए विपत्र भुगतान हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था लागू कर ली जायेगी।
- iii. अस्पताल में चिकित्सकों की 24x7 उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है तथा अनुपस्थित पाये गये चिकित्सकों के विशद्ध कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग को इससे अवगत कराया जाता है।

• समाज कल्याण विभाग

i. सामाजिक सुरक्षा पैशान

सामाजिक सुरक्षा पैशान के भुगतान में छूटे हुए पैशानधारियों के पैशान भुगतान हेतु प्रखंड स्तर पर दिनांक 17-31 दिसम्बर, 2018 तक शिविर आयोजित किये जाने की बात बताई गयी। साथ ही लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) काउंटर पर पैशानधारियों का बैंक खाता खोलने एवं आधार बनवाने हेतु भी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

ii. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत ग्राम पंचायतों को revolving fund के रूप में ₹० 15,000 की राशि उपलब्ध कराने हेतु अभी तक ₹० 13.5 करोड़ की राशि जिलों को उपलब्ध करायी जा चुकी है। अब तक ₹-सुविधा पोर्टल के माध्यम से ₹२४,८०० लाभुकों को अनुदान योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा कोई भी मामला वर्तमान में लंबित नहीं है।

iii. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना - जननी एवं बाल सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना - जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के साथ ही कन्या शिशु के जन्म होने पर माता को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत देय सहि का लाभ दिए जाने पर सहमति बनी है। इस सम्बन्ध में जागरूकता लाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु निदेश दिया गया।

• शिक्षा विभाग -

- i. वित्त रहित विद्यालय से आच्छादित ग्राम पंचायतों में भी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में बताया गया कि इस संबंध में पूर्व से निर्गत संकल्प में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।
- ii. राज्य के विभिन्न जिलों में बांका उन्नयन कार्यक्रम के तर्ज पर ही अन्य नामों से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग इन सभी कार्यक्रमों का एक बामाली (Nomenclature)

करते हुए नए सत्र में राज्य के सभी स्कूलों के कक्षा- 9 एवं 10 में सभी विषयों के लिए लागू किया जाय ।

- iii. बताया गया की बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (MSDP) की उपलब्ध निधि के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु 50 विद्यालयों की सूची अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है। शीघ्र ही और विद्यालयों के निर्माण हेतु सूची उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

• **अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग -**

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण छात्रावास- विभाग द्वारा बताया गया कि जिलों में निर्मित पुराने छात्रावासों के निरीक्षण के उपरांत छात्रों के लिए 30 छात्रावास एवं छात्राओं के लिए 3 छात्रावास भवनों को जर्जर होने के कारण नये छात्रावासों के निर्माण हेतु चिन्हित कर इसकी सूची भवन निर्माण विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दी गयी है।

• **अल्पसंख्यक कल्याण विभाग -**

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु जिलों में भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में बताया गया कि जिला मुख्यालय को अपने रिकॉर्ड के आधार पर भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। तत्पश्चात मुख्यालय से टीम भेजकर चिन्हित भूमि की उपयुक्तता को देखते हुए निर्माण कराने के संबंध में कार्रवाई की जायेगी।

5. आधारभूत संरचना उप-मिशन

बैठक में आधारभूत संरचना उप-मिशन से संबंधित कोई विशेष चर्चा नहीं हुई।

6. कृषि उप-मिशन

कृषि उप मिशन की समीक्षा अंतर्गत कृषि विभाग के प्रधान सचिव द्वारा प्रथम कृषि रोड मैप (2008-12), द्वितीय कृषि रोड मैप (2012-17) एवं तृतीय कृषि रोड मैप (2017-22) के बुनियादी लक्ष्यों एवं उसे पूरा करने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र में प्राप्त किये गये उपलब्धियों से अवगत कराया गया। तृतीय कृषि रोड मैप के बुनियादी लक्ष्य- (1) किसानों के आमदनी में वृद्धि (2) कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों में इक्विटी क्रांति (3) हर भारतीय की धाली में एक बिहारी व्यंजन। बुनियादी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी।

- i. खाद्यान उत्पादन एवं उत्पादकता के संबंध में विभागीय सचिव द्वारा बताया गया कि चावल का औसत उत्पादन कृषि रोड मैप के पूर्व (2003-08) 42.24 लाख में० टन से बढ़कर प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में 51.68 लाख में० टन तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में बढ़कर 76.51 लाख में० टन तक पहुँचा। वर्ष 2012-13 में चावल का उच्चतम उत्पादन 83.22 लाख में० टन तक पहुँचा। चावल की औसत उत्पादकता कृषि रोड मैप के पूर्व (2003-08) 12.28 विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में 15.82 विंटल प्रति हेक्टेयर तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में बढ़कर 23.46 विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुँची। वर्ष 2014-15 में चावल का उच्चतम उत्पादकता 25.25 विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ। तृतीय कृषि रोड मैप अवधि (2017-22) के लिए चावल उत्पादन का लक्ष्य 126 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 35 विंटल प्रति हेक्टेयर निर्धारित हुआ है। 2017-18 में चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आधार पर लक्ष्य के विरुद्ध चावल

उत्पादन 24.09 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 24.09 विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ है। अंतिम अग्रिम अनुमान में वृद्धि संभावित है।

- ii. गेहूँ का कृषि रोड मैप के पूर्व (2003-08) औसत उत्पादन 37.86 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में 52.09 लाख मेट्रिक टन तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में बढ़कर 53.20 लाख मेट्रिक टन तक पहुँचा। वर्ष 2011-12 में गेहूँ का उच्चतम उत्पादन 65.31 लाख मेट्रिक टन तक पहुँचा। गेहूँ की औसत उत्पादकता कृषि रोड मैप के पूर्व (2003-08) 18.23 विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में 24.41 विंटल प्रति हेक्टेयर तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में बढ़कर 24.79 विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुँची। वर्ष 2011-12 में गेहूँ का उच्चतम उत्पादकता 30.49 विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ।

तृतीय कृषि रोड मैप अवधि (2017-22) के लिए उत्पादन लक्ष्य 72 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 31 विंटल प्रति हेक्टेयर निर्धारित हुआ है। 2017-18 में चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आधार पर लक्ष्य के विरुद्ध गेहूँ उत्पादन 57.41 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 28.16 विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ है। अंतिम अग्रिम अनुमान में वृद्धि संभावित है।

- iii. मक्का में कृषि रोड मैप के पूर्व (2003-08) राज्य में औसत उत्पादन 15.67 लाख मेट्रिक टन थी जो प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में बढ़कर 19.44 लाख मेट्रिक टन तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में बढ़कर 29 लाख मेट्रिक टन तक पहुँची, जबकि 2016-17 में मक्का का उच्चतम उत्पादन 38.45 लाख मेट्रिक टन तक पहुँच गया। मक्का की औसत उत्पादकता कृषि रोड मैप के पूर्व (2003-08) 24.64 विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में 29.93 विंटल प्रति हेक्टेयर तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में 40.71 विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुँची। वर्ष 2011-12 में मक्का का उच्चतम उत्पादकता 53.35 विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ। तृतीय कृषि रोड मैप अवधि (2017-22) के लिए उत्पादन लक्ष्य 90.65 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 52 विंटल प्रति हेक्टेयर निर्धारित हुआ है। 2017-18 में चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आधार पर लक्ष्य के विरुद्ध मक्का उत्पादन 26.11 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 39.04 विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ है। अंतिम अग्रिम अनुमान में वृद्धि संभावित है। विभाग द्वारा बताया गया कि 2016-17 के लिए मक्का में अधिकतम उत्पादकता के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है।

- iv. दलहन एवं तेलहन के प्रमाणित बीज की कमी के कारण उत्पादन में अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी। दलहन में 2012-13 में प्राप्त उच्चतम उत्पादकता 10.52 विंटल प्रति हेक्टेयर तथा तिलहन में 2012-13 में उच्चतम उत्पादकता 14.32 विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ है। तृतीय कृषि रोड मैप अवधि (2017-22) के लिए दलहन उत्पादन लक्ष्य 36 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 10 विंटल प्रति हेक्टेयर निर्धारित हुआ है। 2017-18 में चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आधार पर लक्ष्य के विरुद्ध दलहन उत्पादन 4.33 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 8.84 विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ है। तृतीय कृषि रोड मैप अवधि (2017-22) के लिए तेलहन उत्पादन लक्ष्य 4.50 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 15 विंटल प्रति हेक्टेयर निर्धारित हुआ है। 2017-18 में चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आधार पर

लक्ष्य के विरुद्ध तेलहन उत्पादन 1.42 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 12.12 किंचंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ है। अंतिम अग्रिम अनुमान में वृद्धि संभावित है।

- v. सब्जी उत्पादन में रोड मैप के पूर्व (2003-08) राज्य में औसत उत्पादन 140.68 लाख मेट्रिक टन था, जो प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में बढ़कर 148.11 लाख मेट्रिक टन तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में बढ़कर 183.46 लाख मेट्रिक टन तक पहुँचा। वर्ष 2014-15 में सब्जी का उच्चतम उत्पादन 183.95 लाख मेट्रिक टन तक पहुँचा। सब्जी की औसत उत्पादकता प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में 155 किंचंतल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में 166 किंचंतल प्रति हेक्टेयर तक पहुँची। वर्ष 2014-15 में उच्चतम उत्पादकता 166 किंचंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ। दृतीय कृषि रोड मैप अवधि (2017-22) के लिए सब्जी उत्पादन लक्ष्य 252.08 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 300 किंचंतल प्रति हेक्टेयर निर्धारित हुआ है। 2017-18 में लक्ष्य के विरुद्ध सब्जी उत्पादन 185.50 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 167.38 किंचंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ है।
- vi. फल में प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में औसत उत्पादन 39.46 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में 42.5 लाख मेट्रिक टन तक पहुँचा। वर्ष 2014-15 में फल का उच्चतम उत्पादन 44.58 लाख मेट्रिक टन तक पहुँचा। दृतीय कृषि रोड मैप अवधि (2017-22) के लिए फल उत्पादन लक्ष्य 60 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 205 किंचंतल प्रति हेक्टेयर निर्धारित हुआ है। 2017-18 में लक्ष्य के विरुद्ध फल उत्पादन 42.58 लाख मेट्रिक टन तथा उत्पादकता 147.50 किंचंतल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ है।

vii. उक्त प्रसंग में बिन्ब निदेश दिए गए-

- विभाग खाद्यान, दलहन, तेलहन, सब्जी एवं फल के उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़ों का एक बार फिर से सत्यापन कर लें। आंकड़ा प्राप्ति की वर्तमान प्रक्रिया का विश्लेषण कर आंकड़ों के संग्रहण की पारदर्शी एवं विश्वसनीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें। विशेष रूप से राज्य में सब्जी एवं फल के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में हो रहे अपेक्षित वृद्धि, विभाग के आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं हो पा रहे हैं। सब्जी एवं फल के उत्पादन एवं उत्पादकता से सम्बंधित आकड़ों के संग्रहण की बेहतर व्यवस्था विकसित करें।
- बागवानी मिशन अंतर्गत राज्य में शहद, मशरूम आदि के उत्पादनों में गत वर्षों में तेजी से हो रहे वृद्धि को मैपिंग करने की आवश्यकता है। फूल, मशाला, मशरूम एवं शहद आदि के राज्य में उत्पादन से सम्बंधित आंकड़ों के संग्रहण की पारदर्शी एवं विश्वसनीय व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही शहद एवं मशरूम जैसे उत्पादों के सही रूप में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

- viii. विभाग द्वारा बताया गया कि डीजल अनुदान के लिए सभी 38 जिलों के 42.94 लाख किसानों के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। पंजीकृत किसानों में से 19.38 लाख ने डीजल अनुदान हेतु विधिवत आवेदन किया, जिसमें अब तक 16 लाख से अधिक किसानों को 19.5 करोड़ रु० से अधिक का अनुदान याशि वितरित किया जा चुका है। निदेश दिया गया कि लंबित आवेदनों की सम्यक जांचोपरांत शीघ्र भुगतान किया जाय।

- ix. बताया गया कि राज्य के अधिसूचित 24 सूखा प्रभावित जिलों के 275 प्रखंड के 16.01 लाख किसानों के द्वारा कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवेदन किया गया है, जिसकी त्रिस्तरीय (कृषि समन्वयक, जिला कृषि पदाधिकारी, अपर समाहर्ता) जाँच तेजी से करायी जा रही है। लगभग 25000 से अधिक जांचोपरांत आवेदन भुगतान हेतु मुख्यालय को प्राप्त है। विभाग द्वारा बताया गया कि कुछ जिलों के जिला पदाधिकारी द्वारा भी छूटे हुए सूखाग्रस्त क्षेत्र का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है।
- निदेश दिया गया कि जिलाधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग शीघ्र यथोचित निर्णय लेकर, छुटे हुए सूखाग्रस्त क्षेत्र को अधिसूचित करने की कार्रवाई करें। अब तक प्राप्त आवेदनों की जाँच में तेजी लाये तथा जिन आवेदनों की जाँच प्रक्रिया पूरी हो गयी है, उनके लाभुकों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें।
- x. समीक्षा के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य में फसल कटनी के बाद खेत में आग लगाने की प्रवृत्ति में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई, जिसपर गंभीरता एवं संवेदनशीलता से ध्यान देने की आवश्यकता है।
- निदेश दिया गया कि खेत में आग लगाने की प्रवृत्ति के दुष्परिणामों से लोगों में व्यापक जागरूकता फैलाने के अलावे, यह जानकारी प्राप्त किया जाना भी प्रासंगिक है, कि इस तरह के प्रवृत्ति को बढ़ाने के पीछे किस तरह के तत्व/लोग सक्रिय हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस विषय को प्राथमिकता प्रदान करते हुए, समय रहते इस पर पूर्ण निषेध लगाने की दिशा में जरूरी कार्रवाई की जाय।
- xi. बताया गया कि सब्जी उत्पादकों के प्रोत्साहन हेतु प्रथम चरण में चार जिलों में कृषि इनपुट अनुदान योजना 2017-18 में पायलट के रूप में प्रारंभ हुई, जिसमें 17666 किसानों को 10.45 करोड़ रु० का अनुदान भुगतान किया गया। 2018-19 में अतिरिक्त 5 जिले में विस्तारित करने तथा प्रति 0.30 डिसमिल पर अनुदान राशि 6000 रु० से बढ़ाकर 8000 रु० करने की योजना प्रक्रियाधीन है।
- निदेश दिया गया कि सब्जी उत्पादक किसानों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन की कृषि इनपुट अनुदान योजना को जैविक कोरिडोर वाले सभी नौ जिलों में प्राथमिकतानुसार तेजी से कार्यान्वित की जाय।
- xii. बताया गया कि गंगा के अविलता एवं निर्मलता को बनाये रखने एवं राज्य में जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु जैविक कोरिडोर योजना के तहत 2017-18 में प्रथम चरण में गंगा एवं राष्ट्रीय/राजकीय पथ किनारे, राज्य के 9 जिलों के 1572 एकड़ भूमि में जैविक अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण की त्रिस्तरीय प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें 74.97 लाख रु० अनुदान राशि का वितरण हुआ है। जैविक प्रमाणीकरण के लिए वर्तमान में सिक्किम सरकार के साथ MoU हुआ है तथा शीघ्र ही बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी (BSSOCA) को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा।
- निदेश दिया गया कि जैविक कोरिडोर योजनान्तर्गत जैविक खेती हेतु जैविक अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में तेजी लायी जाय।
- xiii. बताया गया कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु वीसा, सिमिट, डॉ० राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, ICAR (पूर्वी क्षेत्र) एवं राज्य सरकार के समन्वय से “जलवायु स्मार्ट कृषि” हेतु चार कोरिडोर अंतर्गत आठ जिलों

में 23.06 करोड रु०की योजना चल रही है। पुनः जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु उपर्युक्त संस्थाओं के माध्यम से 224.15 करोड रु०की (5 वर्षों के लिए) वृहद् योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

निदेश दिया गया कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन सम्बंधित 224.15 करोड रु०की योजना के स्वीकृति की कार्रवाई अविलम्ब की जाय तथा फसल चक्र बदलने के लिए विशेष योजना संचालन पर बल दिया जाय।

xiv. विभाग द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में मजदूरों के राज्य के बाहर जाकर रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए सर्वे एवं अध्ययन हेतु विभाग के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

निदेश दिया गया कि ग्रामीण मजदूरों के रोजगार हेतु अन्य राज्यों में जाने के संबंध में श्रम विभाग के अतिरिक्त कृषि विभाग भी अध्ययन एवं विश्लेषण कर यह जानकारी प्राप्त करे कि बाहर जा कर अधिसंचयक मजदूर कितनी अवधि के लिए, किस तरह के काम/ रोजगार में सम्बद्ध होते हैं?

माननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष शासी निकाय, बिहार विकास मिशन द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 29-01-2019 को 11:00 बजे पूर्वाहन, कृषि विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक पुनः आयोजित होगी, जिसमें आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अनुदान योजनाओं की विस्तृत समीक्षा होगी।

३ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- i. कृषि रोड मैप अवधि में पशु जनित उत्पादन में उपलब्धियों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कृषि रोड मैप के पूर्व दूध का उत्पादन 57.67 लाख मेट्रिक टन वार्षिक से बढ़कर प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में उत्पादन 66.24 लाख मेट्रिक टन वार्षिक तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में उत्पादन 87.09 लाख मेट्रिक टन वार्षिक तक पहुँची। तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 2022 तक 159.90 लाख मेट्रिक टन वार्षिक दूध उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध 2017-18 में 92.41 लाख मेट्रिक टन की उपलब्धि हुई। अंडा में कृषि रोड मैप के पूर्व 10667 लाख वार्षिक उत्पादन से बढ़कर प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में उत्पादन 11002 लाख वार्षिक तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में 11116 लाख वार्षिक तक पहुँची। तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 2022 तक 54616 लाख वार्षिक अंडा उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध 2017-18 में 12185 लाख की उपलब्धि हुई। मांस उत्पादन में कृषि रोड मैप के पूर्व 1.80 लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन से बढ़कर प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में उत्पादन 2.18 लाख मेट्रिक टन वार्षिक तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में 3.26 लाख मेट्रिक टन वार्षिक पर पहुँची। तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 2022 तक 4.03 लाख मेट्रिक टन वार्षिक मांस उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध 2017-18 में 3.43 लाख मेट्रिक टन की उपलब्धि हुई। मछली उत्पादन में कृषि रोड मैप के पूर्व 2.88 लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन से बढ़कर प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में उत्पादन 3.44 लाख मेट्रिक टन वार्षिक तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में 5.09 लाख मेट्रिक टन वार्षिक पर पहुँची। तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत

2022 तक 8.02 लाख मेट्रिक टन वार्षिक मछली उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध 2017-18 में 5.87 लाख मेट्रिक टन की उपलब्धि हुई। बताया गया कि अगले एक दो वर्ष में राज्य में अंडा के वार्षिक उत्पादन में 50 करोड़ तक की वार्षिक वृद्धि संभावित है।

- ii. ठीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में विभिन्न श्रेणी के पशुओं को 664.53 लाख खुराक तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में 765.95 लाख खुराक दिया गया। तृतीय कृषि रोड मैप (2017-22) अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 2634 लाख खुराक के विरुद्ध 2017-18 में 526.61 लाख खुराक तथा 2018-19 में 508.6 लाख खुराक लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 397.64 लाख खुराक की उपलब्धि हुई है। जबकि P.P.R. ठीकाकरण जनवरी, 2019 में तथा ब्रुसेलोसिस ठीकाकरण फरवरी, 2019 में प्रस्तावित है।
- iii. कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में 50.75 लाख पशु तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में 124.85 लाख पशु आच्छादित हुए। तृतीय कृषि रोड मैप (2017-22) अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 205 लाख पशु के विरुद्ध 2017-18 में 28.23 लाख पशु तथा 2018-19 में अब तक 36 लाख पशु आच्छादन लक्ष्य के विरुद्ध 16.72 लाख पशु आच्छादित हुए हैं। राज्य में पशुधन विकास के लिए तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 2022 तक 2000 केंद्र खोलने के लक्ष्य के विरुद्ध 2018-19 में 780 केंद्र प्रारंभ किये गए हैं। पूर्णिया में फ्रोजेन सीमेन स्टेशन प्रारंभ होने के बाद आगामी दो वर्षों में फ्रोजेन सीमेन स्ट्रॉ के उत्पादन में राज्य आत्मनिर्भर हो जायेगा। निदेश दिया गया कि कृत्रिम गर्भाधान में देशी नस्लों के फ्रोजेन सीमेन स्ट्रॉ की उपलब्धता की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाय।
- iv. गोशाला विकास हेतु तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 2022 तक 50 गोशाला के विकास एवं सुदृढ़ीकारण लक्ष्य के विरुद्ध 2018-19 में 10 गोशाला को 20-20 लाख दिए गए हैं। निदेश दिया गया कि राज्य में गोशाला के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गोशाला के सुदृढ़ीकरण के साथ गोशाला में गोबर एवं गो-मूत्र से जैविक खाद के लाभकारी व्यासायिक उत्पादन की योजना को कार्यान्वयित की जाए। अन्य राज्यों में इस क्षेत्र में हो रहे कार्यों एवं अनुभवों से भी लाभ लिया जाय। सइक पर इधर-उधर घूमने वाले मर्वेशी को गोशाला में रखने एवं उसके गोबर एवं गो-मूत्र का उपयोग जैविक खाद के लाभकारी उत्पादन में करने हेतु संस्थागत प्रयास की जाय।
- v. तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 2022 तक 1700 लेयर पोल्ट्री फॉर्म के लक्ष्य के विरुद्ध 2017-18 में 78 स्थापित हुए हैं तथा 2018-19 में बजट उपबंध नहीं होने के कारण योजना प्रारंभ नहीं हो पाई है। ब्रायलर पोल्ट्री फॉर्म की नई योजना अंतर्गत 534 लक्ष्य के विरुद्ध कार्यान्वयन की कार्रवाई चल रही है। तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 2022 तक 5500 बकरी फॉर्म की योजना के विरुद्ध 2017-18 में 394 यूनिट की उपलब्धि हुई तथा 2018-19 के लिए योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। निदेश दिया गया कि बकरी फॉर्म के विकास हेतु उन्नत नस्ल की बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु योजनाबद्ध प्रयास किए जाय।
- vi. मुर्गी वितरण एवं बकरी वितरण की योजना जीविका द्वारा संचालित हो रही है। जीविका द्वारा 2016-17 तक 2.25 लाख परिवार को मुर्गी वितरण तथा 227 परिवार को बकरी वितरण

हुआ है। विभाग द्वारा जीविका को इस मद में गत वित्तीय वर्षों में उपलब्ध कराई गयी राशि का उपयोगिता नहीं मिलने के कारण, इस वर्ष योजना में निकासी में कठिनाई हो रही है।

निदेश दिया गया कि जीविका को मुर्गी एवं बकरी वितरण की योजना में तेजी लाने तथा उक्त हेतु गत वर्षों विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं उससे सम्बंधित तकनीकी कठिनाई को वित्त विभाग के साथ समन्वय कर दूर करें।

- vii. गव्य प्रक्षेत्र अंतर्गत प्रथम कृषि रोड मैप अवधि (2008-12) में दुधारु मवेशी के 13309 यूनिट तथा द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में 32596 यूनिट का अधिष्ठापन हुआ। तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 2022 तक 45058 यूनिट अधिष्ठापन लक्ष्य के विरुद्ध 2017-18 में 1442 तथा 2018-19 में 13 यूनिट का अब तक अधिष्ठापन हुआ है। निदेश दिया गया कि दुधारु मवेशी के विकास में गाय के साथ भैंस को शामिल करके, गौपालकों को दूध की बिक्री से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कराने हेतु संस्थागत प्रयास किया जाय।
- viii. मत्स्य प्रक्षेत्र अंतर्गत तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 2022 तक 20245 लाख मत्स्य बीज वितरण लक्ष्य के विरुद्ध 2017-18 में 3730.48 लाख तथा 2018-19 में अब तक 636.2 लाख का वितरण हुआ है। 2022 तक मत्स्य हेचरी निर्माण लक्ष्य 119 के विरुद्ध 2017-18 में 11 तथा 2018-19 में 10 की उपलब्धि हुई है। तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत “ऊपर बिजली नीचे मछली” की नई योजना के तहत 600 एकड़ को विकसित करने के लक्ष्य के विरुद्ध नेशनल हाइट्रो पावर कारपोरेशन (NHPC), बिहार इंडस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेंट अर्थॉरिटी (BIADA) एवं एनिमल एंड फीस रिसोर्सेज डिपार्टमेंट (AFRD) के बीच इकाइ अनुमोदन हो चुका है। निदेश दिया गया कि “ऊपर बिजली नीचे मछली” नई योजना अंतर्गत में डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज में 5 एकड़ का तालाब बना कर उसमें मछली पालन के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना कार्यान्वित की जाए।

सहकारिता विभाग

- i. विभाग द्वारा बताया गया कि तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 10 लाख मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए 2018-19 में 1250 गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। विभाग द्वारा पहले उन पैक्स में गोदाम निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है, जहाँ पूर्व से गोदाम नहीं है। किन्तु जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण, जिस पैक्स में पूर्व से 100 या 200 मेट्रिक टन का गोदाम है, वहाँ 200, 500 अथवा 1000 मेट्रिक टन का गोदाम जमीन की उपलब्धता के आधार पर दी जा रही है।
- ii. विभाग के स्तर पर ऑनलाइन सदस्यता की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसके तहत अब तक 49863 ऑनलाइन सदस्य बनायें गए हैं। सदस्य बनाने के नियमों को भी सहज किया गया है।
- iii. द्वितीय कृषि रोड मैप अवधि (2012-17) में चावल मिल -सह- गेरीफायर (1 मेट्रिक टन) अधिष्ठापन 350 लक्ष्य के विरुद्ध 369 अधिष्ठापित हुई। तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 260 गिर्दयुत चालित इयार सहित चावल मिल (2 मेट्रिक टन) अधिष्ठापन का लक्ष्य है, जिसमें 159 निर्माणाधीन है।

- iv. विभाग द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत खरीफ फसल हेतु 11.50 लाख किसानों के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है। विभाग द्वारा जांचोपरांत भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
- निदेश दिया गया कि बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत खरीफ फसल हेतु पंजीकृत 11.50 लाख किसानों की आवेदनों की जाँच प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर, फरवरी, 2019 तक भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- v. बताया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर किसानों को फसल बीमा नहीं होने के आधार पर व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। व्यावसायिक बैंकों का कहना है कि RBI के गाइड लाइन के अनुसार बीमा गारंटी के बिना फसल ऋण नहीं दिया जा सकेगा। इस विषय को रेट लेवल बैंकर्स कमिटी (SLBC) में भी उठाया गया था तथा यह पक्ष रखा गया था कि बीमा के अलावे अन्य प्रकार की गारंटी पर फसल ऋण की स्वीकृति दी जानी चाहिए, किन्तु इसपर रेट लेवल बैंकर्स कमिटी (SLBC) में कोई फलाफल नहीं निकला।
- निदेश दिया गया कि किसानों को, फसल बीमा से आच्छादित नहीं होने के आधार पर व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर फसल ऋण नहीं देने के संबंध में तत्काल वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को स्थिति से अवगत कराया जाए तथा किसानों को व्यावसायिक बैंकों से फसल ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठायें।
- vi. जैविक सब्जी उत्पादन, विपणन एवं प्रसंस्करण में प्रोत्साहन हेतु राज्य के पांच जिलों के 97 प्रखंड में से 91 प्रखंड में सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का गठन किया गया है, जिसमें 32 सहकारी समिति को जमीन प्राप्त हो गई है तथा शेष के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिला स्तर पर यूनियन एवं राज्य स्तर पर फेडरेशन गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- निदेश दिया गया कि जैविक सब्जी उत्पादन, विपणन एवं प्रसंस्करण की यह योजना एक बया प्रयास है। सब्जी उत्पादकों का लगभग 30% सब्जी, विपणन एवं प्रसंस्करण के आभाव में बर्बाद होती है। इस नई योजना के द्वारा इस तरह की बर्बादी को कम करके सब्जी उत्पादकों को आर्थिक लाभ पहुँचाया जा सकता है। गणित “प्रखंड स्तरीय सब्जी सहकारी समिति” की गतिविधि हेतु जमीन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाय। प्राथमिकता देकर गणित 91 प्रखंड स्तरीय सहकारी समिति के सब्जी उत्पादकों को शहरी क्षेत्र में जैविक सब्जी के बिक्री हेतु सुनिश्चित स्थान उपलब्ध कराने के लिए नगर विकास विभाग एवं पश्च एवं मत्स्य संसाधन विभाग “वेंडिंग जोन” एवं “कम्फेड के सुधा बूथ” को चिह्नित कर, उसे सहकारी समिति के साथ संबद्ध करें। जिला स्तर पर यूनियन एवं राज्य स्तर पर फेडरेशन गठन के कार्य को तेजी से पूरा किया जाय। वैशाली एवं समस्तीपुर जैसे बड़े सब्जी उत्पादक जिलों में इस दिशा में प्रयास को विशेष प्राथमिकता दें।
- vii. मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना के तहत राज्य के प्रत्येक पैक्स में NCDC के सहयोग से कृषि संयंत्र बैंक खोलने की योजना अंतर्गत कार्यवाई की जा रही है। इसके तहत 75% एवं 25% अनुदान पर 20 लाख रु० का कृषि संयंत्र पैक्सों को प्राप्त होगा। कृषि विभाग में भी इसी तरह की सदृश्य योजना रहने के कारण कार्यान्वयन में प्रारंभिक कठिनाई आई थी। कृषि विभाग की योजना में पंचायत स्तर पर सहकारी समूह को 80% अनुदान पर कृषि यंत्र बैंक

स्थापित करने की योजना है। इसमें पैक्स को भी यह लाभ प्राप्त हो सकता है। इसको ध्यान में रखकर कृषि विभाग से भी इसमें सहायता प्राप्त करने की योजना है। NCDC सहायता प्राप्त मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना को 15 जनवरी, 2019 तक प्रारंभ कर दिया जायगा। निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री हरित कृषि योजनाकार्गत पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक खोलने में विलम्ब न करते हुए कृषि विभाग के साथ समन्वय कर योजना का क्रियाव्ययन शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।

• जल संसाधन विभाग

तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत अतिरिक्त एवं हासित सिंचाई योजना से 2022 तक 10.86 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य है। अतिरिक्त एवं हासित योजना अंतर्गत 2017-18 में 1.15 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तथा 2018-19 में अब तक 0.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ।

निदेश दिया गया कि अतिरिक्त एवं हासित सिंचाई क्षमता सृजन अंतर्गत ली गई योजनाओं में, जहाँ भू-अर्जन की समस्या नहीं है या व्यूनतम है, को प्राथमिकता देकर, योजना को समय पर पूरा किया जाय।

• लघु जल संसाधन विभाग

i. तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत सतही एवं भू-गर्भ सिंचाई योजना से 2022 तक 52.67 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य है। सतही एवं भू-गर्भ योजना अंतर्गत 2017-18 में 0.68 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तथा 2018-19 में अब तक 0.44 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा भू-गर्भ सिंचाई योजना अंतर्गत बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना को संशोधित स्वरूप में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके काफी उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। योजना के लिए तैयार ऑनलाइन पोर्टल पर लगभग 20 दिनों के अन्दर 26000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग के उपलब्ध तकनीकी बल से प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में जाँच करवाकर, योजना का कार्यान्वयन विभाग के समक्ष बड़ी चुनौती के रूप में है।

निदेश दिया गया कि बिहार शताब्दी निजी नल कूप योजना के क्रियाव्ययन में तीव्रता लाने के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जिला में विभिन्न विभागों के कार्यरत अभियंताओं से अभियान चलाकर, निर्धारित समय-सीमा में जाँच करायें तथा योजना का लाभ किसानों को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

ii. सरकारी नलकूपों को संचालन हेतु पंचायत/समूह को हस्तांतरित करने में आ रही बड़ी बाधा को दूर करते हुए बिजली दर में कमी कर के इनका प्रबंधन का दायित्व पंचायत को दौपने की कार्रवाई की जा रही है।

निदेश दिया गया कि सरकारी नलकूपों की प्रबंधन का दायित्व पंचायत को सौंपने की कार्रवाई में तेजी लाए।

• पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- i. फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) के द्वारा हरित आच्छादन के संबंध में अंतिम सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार रिमोट सेंसिंग संस्थान के सर्वेक्षण में 2017 तक हरित आच्छादन 15.04% प्रतिवेदित हुआ है।
निदेश दिया गया कि FSI द्वारा हरित आच्छादन सर्वे सम्बंधित अंतिम रिपोर्ट को शीघ्र प्राप्त किया जाय।
 - ii. तृतीय कृषि रोड मैप अंतर्गत 2017 से 2022 तक 1510 लाख वृक्षारोपण लक्ष्य के विरुद्ध 2017-18 में 228.64 लाख एवं 2018-19 में अब तक 146.09 लाख वृक्षारोपण हुआ है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास द्वारा मनरेगा के तहत 42.42 लाख वृक्षारोपण किये गए हैं।
निदेश दिया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग की सङ्कों को चिह्नित कर सङ्क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य कराएँ।
 - पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग आपस में समन्वय कर इस पर युक्तिसंगत निर्णय लें कि ग्रामीण कार्य विभाग की सङ्कों के किनारे वृक्षारोपण कार्य विभाग द्वारा हो तथा रख-रखाव का कार्य ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा के तहत किया जाय।
 - iii. वायु प्रदूषण के संबंध में बताया गया कि नवम्बर 2018 में राज्य के तीन मुख्य शहर पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया में प्रदूषण (AQI) का स्तर बहुत खराब रहा। उसी प्रकार PMCH एवं तारामंडल के पास ध्वनि प्रदूषण का स्तर मानक से अधिक पाया गया। जल प्रदूषण अंतर्गत पटना के सभी घाटों पर Total एवं Fecal Coliform खतरनाक स्तर पर पाया गया।
निदेश दिया गया कि वायु, ध्वनि एवं जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाया जाय। ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम हेतु वाहनों पर प्रेसर हॉर्न एवं सायरन के अनधिकृत उपयोग (Ambulance को छोड़कर) पर रोक लगाने हेतु परिवहन विभाग के स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की जाय।
 - पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति को बेहतर रूप में जानने हेतु अधिक स्थानों पर मापक यंत्रों के अधिष्ठापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
 - गंगा की अविरलता एवं जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु पटना में 6 स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के अधिष्ठापन तथा उपचारित दूषित बहिःस्राव को सिंचाई में उपयोग करने की योजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें।
- ## • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- i. विभाग द्वारा बताया गया कि के विशेष सर्वेक्षण अधिनियम अंतर्गत सभी 38 ज़िलों के 45762 यजस्व ग्रामों में से 44436 (97%) में हवाई सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बचे हुए राजस्व ग्रामों के लिए High Resolution Satellite Image प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा अनुमति दी गई है। अब तक 724 राजस्व ग्राम में खानापूरी, 266 में प्रारूप प्रकाशन तथा 2 में अंतिम प्रकाशन हुआ है। सर्वे कार्य हेतु कार्मिकों की कमी को दूर करने हेतु नियोजन/संविदा की कार्रवाई चल रही है। कार्मिकों की उपलब्धता के बाद सर्वे कार्य में अपेक्षित गति आ जाएगी।
 - ii. ऑनलाइन दाखिल-खारिज एवं ऑनलाइन लगान जमा करने की प्रक्रिया सभी 534 अंचलों में प्रारंभ हो चुकी है। अब तक दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त 388268 आवेदनों में से 92493

(23.8%) का निष्पादन हुआ है तथा अब तक 80669 ऑनलाइन भू-लगान अंतर्गत 112.39 लाख रु० जमा हुआ है। सॉफ्टवेयर में जमाबंदी एवं पूर्व जमा भू-लगान का इन्डराज ग्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण रहने के कारण निष्पादन की गति धीमी है, जिसके सुधार हेतु कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त एवं पुराने जमाबंदी को अद्यतन करने के उद्देश्य से पारिवारिक बैंटवारा के लिए 100 रु० स्टम्प पेपर पर निःशुल्क निबंधन की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है, जिसका अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।


निदेश दिया गया कि ऑनलाइन दखिल-खारिज एवं भू-लगान भुगतान में आ रही बाधा को दूर कर, निष्पादन में तेजी लाया जाय तथा एक सौ रु०(100) के स्टम्प पर निःशुल्क पारिवारिक बैंटवारा के निबंधन का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।

- iii. डिजिटल सर्वे मानचित्र आपूर्ति की सुविधा राज्य के 34 जिलों तथा राज्य के बाहर मुंबई एवं दिल्ली में प्रदान की जा रही है। अब तक लगभग 6.50 लाख से अधिक मानचित्र उपलब्ध कराये गए हैं। मुंबई एवं दिल्ली में इस सेवा का अधिक उपयोग नहीं हो पा रहा है।
- iv. अभियान बसेरा अंतर्गत अब तक सर्वेक्षित 125985 गृह विहीन परिवारों में से 80184 (63.6%) को गृह स्थल भूमि उपलब्ध करायी गई है तथा शेष को उपलब्ध करने हेतु विभाग द्वारा कार्ययोजना बनाकर काम किया जा रहा है। इसी प्रकार ओपरेशन दखल दहानी हेतु चिन्हित 126260 मामलों में से 85804 (68%) को दखल प्राप्त कराया गया है तथा बचे हुए को दखल दिलाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है।
- v. सभी 534 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार निर्माण अंतर्गत 403 अंचलों में निर्माण कार्य पूर्ण, 80 में निर्माणाधीन, 10 निविदा में तथा 41 में स्थल चयन नहीं होने के कारण लंबित है।

निदेश दिया गया कि 41 अंचल में लंबित आधुनिक अभिलेखागार निर्माण हेतु स्थल चयन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाय।

• खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- i. जनवितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण अंतर्गत राज्य में FCI के गोदाम से लेकर SFC के गोदाम तक तथा SFC के गोदाम से डोर स्टेप के माध्यम से जन वितरण के दुकान तक व्यवस्था सॉफ्टवेयर आधारित हो गई है। राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकान में लाभुकों को खाद्यान वितरण की पारदर्शी व्यवस्था हेतु PoS अधिष्ठापन कार्य अंतर्गत निविदा का प्रकाशन हुआ तथा प्राप्त निविदा में प्राप्त ऊँची दर को कम करने के लिए Negotiation (मोल-तोल) की कार्रवाई की जा रही है।
- ii. राशन कार्ड के आधार सीडिंग अंतर्गत 82% कार्य हो चुका है तथा Bulk Authentication के लिए UIDAI (Unique Identification Authority of India) के द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर NIC के सहयोग से तैयार की जा रही है, जिससे Activate होने के बाद इसमें तेजी आ जाएगी।
- iii. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आवंटित खाद्यान का मासिक उठाव प्रत्येक माह के 30 तारीख तक 99% तक कर लिया जा रहा है। कुछ जिलों में, जहाँ ट्रांसपोर्टर की समस्या है, को छोड़कर खाद्यान का उठाव निर्धारित समय पर हो जा रहा है।



- iv. जब वितरण व्यवस्था में अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यों के मासिक मूल्यांकन हेतु विभागीय स्तर पर तैयार सॉफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि की प्रारंभिक समस्या का निदान कर लिया गया है। इस व्यवस्था को अब नियमित कर लिया जायेगा ।
- v. खरीफ विषेण मौसम 2018-19 के लिए धान अधिप्राप्ति के लिए सभी आवश्यक तैयारी कर ली गई है। अब तक राज्य के 16-17 जिलों में पैक्स के माध्यम से धान का क्रय प्रारंभ हो गया है। राज्य सरकार के प्रयास से धान अधिप्राप्ति लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 30 मीट्रिक टन हो गया है। 19: नमी तक धान अधिप्राप्ति करने के संबंध में केंद्रीय टीम जाँच हेतु जिलों का भ्रमण कर रही है। टीम के जाँच रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र अधिसूचना की सम्भावना है।
- vi. विकेंद्रीकृत धान अधिप्राप्ति (2018-19) अंतर्गत 30 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाया जाय ।

7. लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप-मिशन

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- i. पुरातात्त्विक स्थल लाल पहाड़ी, लखीसराय का उत्खनन एवं यहाँ से प्राप्त अवशेषों का संग्रह एवं संरक्षण - वर्ष 2018-19 में उत्खनन हेतु कार्यकारी संस्थान (बिहार विरासत विकास समिति, पटना एवं शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली से अनुज्ञाप्ति प्राप्त हो चुका है। दिनांक 09.12.2018 को प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के निर्देशन में एक तकनीकी दल के द्वारा उत्खनित पुरास्थल लाल पहाड़ी एवं संग्रहालय निर्माण हेतु चयनित स्थल का निरीक्षण किया गया। दिनांक 10.12.2018 को बिहार विरासत विकास समिति, पटना को उत्खनन हेतु यशि विमुक्त कर दी गई है।
- ii. चौसागढ़, बक्सर तथा महमूद शाह का मकबरा, कहलगांव की घेराबंदी - चौसागढ़, बक्सर की घेराबंदी हेतु संवेदक के चयन हेतु निविदा 18.12.2018 तक आमंत्रित की गई है। महमूद शाह का मकबरा, कहलगांव की घेराबंदी हेतु चिन्हित स्थल का सीमांकन दिनांक 08.12.2018 को करा लिया गया है तथा जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा चिन्हित स्थल को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
- iii. चिरंद में प्रागैतिहासिक स्थल का संरक्षण एवं विकास - बताया गया कि संग्रहालय का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रागैतिहासिक प्रतिकृति के निर्माण एवं पुरातात्त्विक स्थल के संरक्षण हेतु दिनांक 18.01.2019 तक निविदा आमंत्रित की गई है।
निर्देश - चिरंद (सारण) में पुरातात्त्विक महत्व के स्थल के ऊपर निर्मित संरचना को हटाकर पुरातात्त्विक स्थल का संरक्षण किया जाय।
- iv. केसरिया स्तूप में समुचित प्रकाश की व्यवस्था का प्रबंध - केसरिया स्तूप में प्रकाश व्यवस्था हेतु महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को अनुरोध पत्र भेजा गया है तथा दिनांक 17.12.2018 को प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के साथ महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली की बैठक प्रस्तावित है। उक्त कार्य हेतु परामर्शी के चयन की कार्रवाई की जा रही है।

- v. रामपुरवा अशोक स्तम्भ के शीर्ष को कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है, जहाँ से लाने हेतु प्रयास किया जाए - प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार द्वारा सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 10.12.2018 को अनुरोध पत्र भेजा गया है।
- vi. गाँधी स्मृति नगर भवन का निर्माण - मोतिहारी तथा बेतिया में निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पुनरीक्षित प्रावक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है, जिसकी राशि में 100% से अधिक की वृद्धि होने के कारण मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को स्मारित किया गया है।
- vii. गाँधी स्मृति संग्रहालय भित्तिहरवा का जीर्णोद्धार - संग्रहालय में स्थायी दीर्घा के लिए एक बड़े हॉल का निर्माण कार्य हेतु 52.43 लाख तथा संग्रहालय परिसर में स्थित गेस्ट हाउस के जीर्णोद्धार हेतु 39.51 लाख का प्रावक्कलन तैयार किया गया है, जिसका तकनीकी अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। संग्रहालय में प्रार्थना कक्ष एवं प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार तथा परिसर में प्रकाश व्यवस्था हेतु 27.23 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है तथा 20: कार्य किया जा चुका है।
निदेश - जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।
- viii. तेल्हाड़ा (नालंदा) में Site Museum का निर्माण - तेल्हाड़ा (नालंदा) में Site Museum के चहारदीवारी निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है। संग्रहालय निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रावक्कलन एवं नक्शा तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु भेजा गया है। दिनांक 09.12.2018 को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की तकनीकी टीम द्वारा स्थल निरीक्षण में पाया गया कि चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च व्यायालय से स्थगन आदेश पारित है। प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा दिनांक 11.12.2018 को स्थल निरीक्षण किया गया जिस क्रम में जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा Site Museum के निर्माण हेतु एक अन्य भूखंड का चयन किया गया है, जिसका प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
- ix. पुरातत्व संरक्षण एवं विकास से सम्बन्धित योजनाओं की समीक्षा तथा इनका अनुश्रवण मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम- कार्यान्वयन के स्तर पर भी किये जाने के निदेश के अनुपालन में 06.12.2018 को मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम-कार्यान्वयन की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई, जिसके निर्णयों के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।
- x. राजगीर में फिल्मसिटी निर्माण तथा बिहार राज्य फिल्म विकास प्रोत्साहन नीति का सूत्रण - उक्त कार्य के पर्यवेक्षण हेतु अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के साथ दिनांक 14.12.2018 को बैठक प्रस्तावित है।
- पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 - i. राजगीर में विश्व शांति स्तूप के सीढ़ियों तथा अशोक स्तम्भ के मार्ग का जीर्णोद्धार -निदेश दिया गया कि कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।
 - ii. भीमबांध में गर्म जल स्रोतों को संग्रहित करते हुए अलग स्नान कुंड का निर्माण कराया जाए ताकि जल का तापमान उचित स्तर तक कम हो सके तथा अवशिष्ट जल को कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जाए - बताया गया कि गर्म स्नानकुंड (महिला एवं बच्चे) का संरचना निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, जलरोधक कार्य प्रगति पर है। भीमबांध एवं अद्वितीय में जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है, जिससे निकटवर्ती ग्रामीणों द्वारा चौनल के माध्यम से सिंचाई की जा रही है।

निदेश - भीम बांध में गर्म जल श्रोतों को संबंधित करते हुए अलग स्नान कुंड का निर्माण इस प्रकार कराया जाय कि इस कुंड में आने के क्रम में गर्म जल का तापमान कम होकर स्नान योग्य हो सके। बताया गया है कि महिलाओं तथा बच्चों के लिए गर्म स्नान कुंड का निर्माण किया जा रहा है, अतः पुरुषों के लिए भी अलग स्नान कुंड बनाया जाय।

● **अवन निर्माण विभाग**

नव निर्मित गंडक पुल का नामकरण भगवान बुद्ध के नाम पर किया जाए - पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत रत्वल-धनहा के बीच गंडक नदी के ऊपर निर्मित पुल का नाम गौतम बुद्ध सेतु रखा गया है, जिसकी अधिसूचना पथ निर्माण विभाग से निर्गत है।

अंत में सध्यवाद बैठक समाप्त हुई।

27/12/2018
(संजय कुमार)

सदस्य सचिव

ज्ञापांक:- बिहारीमि०-स्था०-(बिट्क)-03/2018 ।९९ दिनांक-..... 30.01.2019

प्रतिलिपि:- सभी माननीय मंत्री-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ विकास आयुक्त, बिहार-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन/ सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव-सह-सदस्य, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन, पट्टना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/12/2018
सदस्य सचिव

ज्ञापांक:- बिहारीमि०-स्था०-(बिट्क)-03/2018 ।९९ दिनांक-..... 30.01.2019

प्रतिलिपि :- मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/12/2018
सदस्य सचिव

ज्ञापांक:- बिहारीमि०-स्था०-(बिट्क)-03/2018 ।९९ दिनांक-..... 30.01.2019

प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पट्टना/ आई०टी० प्रबंधक, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/12/2018
सदस्य सचिव